अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –207 / 2026

न्यायालय, जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, नवगछिया, भागलपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–207 / 2026
खरीक थाना कांड संख्या–107 / 2026
अन्तर्गत धारा :–191(2) , 126(2) , 110, 351(2), (3), बी0एन0एस0 के अंतर्गत।

01. गुड़िया देवी,
02. अजय यादव
03. बुचो यादव
04. वंदना देवी
05. लोधो यादव
06. लुचो यादव
07. गुंजो देवी उर्फ गुंजन देवी
08. संतोष यादव .....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... अभियोजन पक्ष

10.06.2026 आवेदक अभियुक्तगण की ओर से खरीक थाना कांड संख्या–107 / 2026 में गिरफ्तारी की आशंका से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान की गई है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किया गया है कि यह वाद सूचिका गीता देवी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो किसी अन्य सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल किया गया है। आगे कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सिवाये धारा–110 और 74 बी0एन0एस0 को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय है। धारा–110 और 74 का आरोप आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों का पालन एवं न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाय।

अभियोजन का वाद सूचिका गीता देवी के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–12.04.2026 के शाम करीब पॉच बजे गॉव स्थित अपने बासा पर मवेशी को चारा खिला रही थी। उपरोक्त सभी आवेदक अभियुक्तगण एकमत होकर लाठी डंडा कुल्हारी, खंती लकर आया एवं सूचिका के उपर झूठा आरोप लगाकर मारपीट करने लगा। सूचिका के शोर शराबा की आवाज सुनकर सूचिका के पति एवं पुत्र सूचिका को बचाने आये तो इन दोनों को भी लाठी डंडे से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया एवं केस करने पर जान मारने की धमकी दिया। मारपीट के दौरान सूचिका के साथ छेड़छाड़ भी किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत दिये जाने का विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका–02 वादिनी का पुनः बयान है। कंडिका–05 में घटनास्थल का वर्णन है जिसमें घटनास्थल खरीक थाना अंतर्गत खरीक थाना से करीब उत्तर पश्चिम करीब 05 कि0मी0 है। कंडिका–07, 08 साक्षियों का बयान है जिन्होंने प्राथमिकी पूर्ण समर्थन किया है।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या –207/2026

लगातार

10.06.2026 कंडिका–24 में इस वाद के जख्मी सह सूचिका गीता देवी का जख्म प्रतिवेदन है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचिका के बाएं हाथ के कलाई के जोड़ पर सूजन है, जो कि चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है। जख्मी राजकुमार का जख्म प्रतिवेदन है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जख्मी का जख्म चिकित्सक द्वारा बाएं केहूनी पर सूजन है जो कि चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध साधारण आरोप लगाया गया है। इस वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्तगण को मो0 10,000/–(दस हजार रूपये) के समतुल्य राशि के दो–दो जमानतदारों के प्रतिभुओं का बंध पत्र विचारण न्यायालय में 04 सप्ताह के अंदर गिरफतार होने अथवा आत्मसमर्पण किये जाने पर एवं न्यायालय के संतुष्टि पर धारा 482 (2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अनुपालन करने पर इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत की जाती है कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्तगण के निकट संबंधी होंगे तथा आवेदक अभियुक्तगण आरोप गठन के पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेंगे। आवेदक अभियुक्तगण के लगातार दो तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर निम्न न्यायालय को उनका बंधपत्र खंडित करने की स्ववंत्रता होगी।

लेखापित

जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
नवगछिया, भागलपुर।

मेमो नं0..... दिनांक .....

प्रतिलिपिः– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, नवगछिया को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
नवगछिया, भागलपुर।